क्रम-संख्या–134(क–9)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025

श्रावण 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 168/79-वि-1–2025-1-क-13-2025

लखनऊ, 21 अगस्त, 2025

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) में, परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि ऊर्जा क्षेत्र मैं कार्य निष्पादन के मानदण्ड के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–2026 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा उपलब्ध होगी।''

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है ।

2—व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र-संख्या 40(1)/पी0एफ0—एस0/2025—26, दिनाँक 4 अप्रैल, 2025 में यह उल्लेख किया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के आधार पर राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक ऋण सीमा के अनुमोदन को वित्तीय वर्ष 2025—2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अतएव, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 168(2)/LXXIX-V-1–2025-1-ka-13-2025
Dated Lucknow, August 21, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 2025. The Vitt (Aay Vyayak) Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2025

(U.P. ACT no. 12 of 2025)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2025.

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004, in sub-section (3), in clause (c), *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely: - Amendment of Section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

"Provided further that an additional annual loan limit of 0.50 percent of Gross State Domestic Product (GSDP) will be available in the financial year 2025-2026 based on the performance criteria in the energy sector."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 (U.P. Act no. 5 of 2004) has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

2. In the letter No. 40(1)/PF-S/2025-26, Dated April 4, 2025 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, it has been mentioned on the basis of the criteria of performance in the energy sector, the approval of additional annual loan limit of 0.50 percent of the Gross State Domestic Product (GSDP) to the State has been extended till the financial year 2025-2026. Therefore, it has been decided to amend clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2025 is introduced accordingly.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 141 राजपत्र–2025–(435)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 61 सा0 विधायी–2025–(436)–400 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
141 RPH 2025 (ADHINIYAM FOL.) (Budgut Prabandha) data 7e